

प्रेस नोट दिनांक 27/07/2021

02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार मय एक अदद एक्टवा गाडी नं0- UP80FQ4152 चार जोडी पायल सफेद धातु, चैक बुक की कापी, आधार कार्ड, पैन कार्ड व 2700 रू0 नकद व एक अदद मोबाइल सम्बन्धित मु0अ0सं0-60/2021 धारा 302/394/328/411 भादवि थाना कोतवाली आगरा ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय आगरा परिक्षेत्र आगरा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आगरा के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक (नगर/प्रोटोकाल) के नेतृत्व में व क्षेत्राधिकारी कोतवाली महोदय आगरा के सफल पर्यवेक्षण में गठित 04 टीम द्वारा थाना क्षेत्र कोतवाली से मु0अ0सं0 60/2021 धारा 302/394/328/411 भादवि से सम्बन्धित घटना के अनावरण हेतु घटना के आसपास लगे सी0सी0टी0वी फुटेज व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व व्यक्तियों से पूछताछ व अन्य प्रयासों के उपरान्त अभियुक्तगण 1. संतोष राठौर पुत्र बादाम सिंह राठौर नि0 11/592 सीतानगर रामबाग थाना एत्मादौला आगरा उम्र-35 वर्ष । 2. वीरू पुत्र श्री रमेश चन्द्र नि0 लोहामण्डी थाने के सामने पुलिया के पास थाना लोहामण्डी आगरा हाल पता- मकान मालिक चरन सिंह छलेसर थाना एत्मादपुर आगरा को आज दिनांक 27.07.2021 को कुबेरपुर गढी जगन्नाथ एक्सप्रेसवे के नीचे अण्डरपास से मय एक्टवा गाडी न0- UP80FQ4152, चार जोडी पायल सफेद धातु, चैक बुक की कापी, आधार कार्ड, पैन कार्ड व 2700 रू0 नकद व एक अदद मोबाइल के गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त से पूछताछ के दौरान अभियुक्त संतोष ने बताया कि मेरी रिस्ते की बहन रेखा राठौर से मेरा पैसो का लेनदेन था रेखा राठौर मुझसे बार-बार उधार रूपयो की माँग करती थी और मुझसे गाली गलौज कुत्ता व सुअर बोलती थी व बदसलूकी करती थी और मुझे यह भी पता चला कि रेखा राठौर को पास कहीं से 04 लाख रूपये मिले हैं तब मैंने अपने दिमाग में योजना बनायी कि रेखा राठौर व उसके बच्चो की हत्या करनी है । फिर मैंने अपने दोस्त अंसुल राठौर, वीरू राठौर को साथ में लेकर रेखा राठौर के घर तीनों लोग दिनांक 21.07.2021 की लगभग 12.20 बजे एक्टवा धूलियागंज पर खडा कर पैदल पैदल घर पर पहुँचे तो मैंने रेखा राठौर को सर के दर्द के बहाने से नींद गोली खिलाकर सभी को एक एक कर बारी बारी से गले पर चाकू और कैची से वार कर हत्या कर दी तथा अलमारी में तलाशी लेकर रेखा राठौर का मोबाइल, टैबलेट, अलमारी में रखे रूपये व एक पोटली जिसमें पाँच जोडी चाँदी की पाजेव थी लेकर चले गये और आपस में बाँट लिया वर्तमान में अभियुक्त अंशुल राठौर पुत्र स्व0 श्रीकान्त राठौर फरार चल रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. संतोष राठौर पुत्र बादाम सिंह राठौर नि0 11/592 सीतानगर रामबाग थाना एत्मादौला आगरा उम्र-35 वर्ष ।

गिर0 अभि0 का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 60/2021 धारा 302/394/328/411 भादवि थाना कोतवाली आगरा ।



2. वीरू पुत्र श्री रमेश चन्द्र नि० लोहामण्डी थाने के सामने पुलिया के पास थाना लोहामण्डी आगरा हाल पता-मकान मालिक चरन सिंह छलेसर थाना एत्मादपुर आगरा ।

गिर० अभि० का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 60/2021 धारा 302/394/328/411 भादवि थाना कोतवाली आगरा ।



बरामदगी:-

1. एक अदद एक्विवा गाडी न०- UP80FQ4152
2. चार जोडी पायल सफेद धातु
3. पास बुक की कापी
4. आधार कार्ड
5. पैन कार्ड
6. 2700 रू० नकद
7. एक अदद मोबाइल

फरार अभियुक्त:- अंशुल राठौर पुत्र श्रीकान्त राठौर निवासी सीतानगर थाना एत्मादौला जनपद आगरा।

गिरफ्तार करने वाले टीम के अधि०/कर्म०के नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली आगरा
2. व०नि० श्री प्रेमपाल सिंह थाना कोतवाली आगरा
3. उ०नि० श्री दिनेश कुमार थाना कोतवाली आगरा
4. उ०नि० श्री अमित कुमार थाना कोतवाली आगरा
5. उ०नि० श्री कुशलपाल सिंह थाना कोतवाली आगरा
6. उ०नि० श्री सचिन तोमर थाना कोतवाली आगरा
7. उ०नि० श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली आगरा
8. उ०नि० श्री गौरव कुमार माल्या थाना कोतवाली आगरा
9. उ०नि० श्री सोनू कुमार थाना एम.एम. गेट आगरा
10. एस.ओ.जी. टीम
11. सर्विलांस टीम
12. हे०का० 1501 राजेश कुमार थाना कोतवाली आगरा
13. हे०का० 160 अश्वनी कुमार थाना कोतवाली आगरा
14. का० 4924 अमित कुमार थाना कोतवाली आगरा
15. का० 4909 अभिषेक विश्वकर्मा थाना कोतवाली आगरा
16. का० 1768 अजीत कुमार थाना कोतवाली आगरा
17. का० 5182 निर्देश कुमार थाना कोतवाली आगरा
18. का० 5183 दीपक राणा थाना कोतवाली आगरा
19. का० 5143 आशीष कुमार थाना कोतवाली आगरा